न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल।

आदेश

बाह्य न्यायालय सम्भल के सभी अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी के चलते न्यायालय परिसर **कन्टोनमेंट जोन में आने की दशा में** माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0– 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/ Dated 28-07-2020 एवं कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी, के प्रशा0 आदेश संख्या– 156/2020, दिनांकित 03.08.2020 मे दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार निम्नांकित न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे–

1–माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय द्वारा उक्त अवधि में केवल निम्न उल्लिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे–

ए. लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना–पत्र

बी. लम्बित एवं नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

सी. आवश्यक प्रकृति के प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण

डी. आवश्यक प्रकृति के ऐसे सिविल प्रार्थना–पत्रों जो व्यादेश (Injunction) से सम्बन्धित हों, का निस्तारण

ई. विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड/न्यायिक कार्य

एफ. ऐसे अन्य मामले, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश उचित समझें।

2–बाह्य न्यायालय सम्भल की डेडिकेटेड ई–मेल आई.डी. outlinecourtsambhal@gmail.com पर ही जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र तथा आवश्यक प्रार्थना–पत्र प्राप्त किये जायेंगें। वादकारीगण एवं अधिवक्तागण की सहायता हेतु डेडीकेटेड हेल्पलाइन टेलीफोन नं0– 05923232453 सृजित किया गया है।

3–ई–मेल से प्राप्त उपरोक्त प्रार्थना–पत्रों पर अधिवक्ता और वादकारी का विवरण मो0नं0/ई–मेल आई.डी. सहित दिया जाना आवश्यक होगा।

4–कम्प्यूटर अनुभाग ई–मेल के द्वारा प्राप्त ऐसे जमानत प्रार्थना–पत्रों को डाउनलोड करते हुऐ आवश्यक लिस्ट जेनरेट करेंगे।

5–कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित करेगा, यदि प्रार्थना–पत्र में कोई त्रुटि हो तो उसी दिन सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जायेगा।

6–ऐसे मामले जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, उनको सी.आई.एस. कॉज लिस्ट में 48 घन्टे के उपरान्त दर्ज किया जायेगा।

7– केवल आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना–पत्रों को ही सी.आई.एस. कॉज लिस्ट में दर्ज किया जायेगा तथा **अन्य केसस में सामान्य तिथियां नियत की जायेंगी।** जमानत प्रार्थना–पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों की प्रति अभियोजन पक्ष के ई–मेल आई.डी. या व्हाटसएप्प मो0नं0– पर ही प्रदान की जायेगी।

8–न्यायालय की कार्यवाही हेतु (JITSI) वीडियों कान्फ्रेंसिंग सोफटवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

9–सम्बन्धित अधिवक्तागण/अभियोजन पक्ष के साथ न्यायिक कार्य किये जाने हेतु लिंक शेयर किया जायेगा।

10–अधिवक्तागण/अभियोजन पक्ष लिंक के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये न्यायालय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से दिये गये टाइम स्लॉट के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।

11–न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

12–न्यायालय की कार्यवाही हेतु (JITSI) वीडियों कान्फ्रेंसिंग सोफटवेयर के बारे में कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त टी.एम.पी. श्री सुमित पंकज, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण को जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भविष्य में कोई समस्य उत्पन्न न हो।

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु सूचित किया जाये। इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी की वेबसाइड पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित की जाये, एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये एवं इस आदेश की एक प्रति बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये।

(अर्जुन),
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–माननीय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी।

2–जिला बार एसोसिएशन, सम्भल, जिला सम्भल।

3–जिला सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, सम्भल, जिला सम्भल।

(अर्जुन),
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल